वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्या : 957 /XVII-1/2008-218(स.क.)/2002

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, 15 अक्टूबर 2008

विषय : **चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजनान्तर्गत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–268/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु रूपये 20,00,000/– (रूपये बीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. **उक्त धनराशि जनपद–अल्मोड़ा एवं देहरादून को उनकी आवश्यकता के अनुसार तत्काल उपलब्ध कराई जाए।**
2. धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
3. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र व लाभार्थियों का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
5. बी.एम.–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–30" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा

अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–07–अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना" की मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे डाला जाएगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–20(P)/XXVII(3)/2008, दिनांक 01 अक्टूबर 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 957-(1)/XVII-1/2008–218(स.क.)/2002, तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
7. केन्द्र प्रभारी, राजकीय सिविल सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून/अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

BHUWAN PANDEY

8 October 2008